भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 386
20 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य, औषधों तथा चिकित्सा उपकरणों हेतु एकल विनियामक

*386. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार का खाद्य औषधों तथा चिकित्सा उपकरणों के तीनों विनियामकों के कायकरण को निगरानी करने हेतु किसी एकल विनियामक को नियुक्ति का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उद्योग ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि एकल विनियामक होने से प्रक्रियागत विलंब तथा बहु-काय एजसियों को संख्या म कमी आयेगी; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध म कोई अंतिम निणय कब तक लिये जाने को संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन)

(क): जी, नहों। ऐसा कोई प्रस्ताव नहों है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहों उठता।

****